"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2005 — आषाढ़ 9, शक 1927

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक 1098/35/98/गौसेआ/नि./2005.— छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम 2005 है.

(2) यह राज्यपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **परिभाषाएं-**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम 2004, (क्रमांक 23 सन् 2004);

(ख) "भत्ते" से अभिप्रेत है यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ;

(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है पदेन सचिव, अपर संचालक/संयुक्त संचालक संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ ;

(घ) "फीस" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण फीस या इन नियमों के नियम 05 के अधीन वसूल की गई फीस ;

(ङ.) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(च.) "रजिस्ट्रार " से अभिप्रेत है धारा 10 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए समनुदेशित किया जाए ;

(छ) "न्यासी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो किसी भी नाम और पदाविधान से जाना जाता हो, और जिसमें संस्था प्रशासन निहित हो, और उनमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो इस प्रकार प्राधिकृत और दायी हो मानो कि वह न्यासी था.

(ज) "क्रियान्वयन समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति.

3. **भत्ते** : आयोग के अशासकीय सदस्यों, को आयोग के सम्मिलन में उपस्थित रहने के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो राज्य सरकार के ग्रेड-ए के अधिकारियों को लागू होते हों, परंतु सदस्यों को रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज द्वारा किसी यात्रा का किराया संदत्त नहीं किया जाएगा.

4. **कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें** : राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 1288/35/873/ गौ-सेवा/2004-05/रायपुर दिनांक 15-07-04/28-07-04 द्वारा छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग हेतु सृजित स्वीकृति सेटअप/पद के अनुसार सृजित एवं स्वीकृत सेटअप/पद निम्नानुसार है :-

(1)	(क)	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	-	एक
	(ख)	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	-	दो
	(ग)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	-	दो
	(घ)	सहायक ग्रेड-दो	-	एक
	(ङ.)	स्टेनोग्राफर/टायपिस्ट	-	एक
	(च)	लेखापाल	-	एक
	(छ)	वाहन चालक	-	दो
	(ज)	भृत्य/चौकीदार	-	दो

(2) उपनियम (1) के अधीन, इस प्रकार नियुक्त किया गया उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, आयोग के रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग उसे इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित करें.

(3) रजिस्ट्रार आयोग कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होगा और आयोग के समस्त कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा.

(4) अन्य समस्त, कर्मचारी रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे.

(5) समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी राज्य सरकार के (पशुपालन) विभाग (पशु चिकित्सा सेवाएं) के सेवक होंगे तथा उनकी सेवा-शर्त इस प्रकार शासित होगी जो उनके पैतृक विभाग में तत्स्थानी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू हो और वे ऐसा वेतन, अन्य भत्ते तथा सुविधाएं प्राप्त करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उनके कर्मचारियों के लिए अवधारित की जाए.

(6) नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी पशुपालन विभाग को आवंटित बजट से अपने वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करगें तथा ऐसे नियुक्त कर्मचारी- प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे तथा - मांग संख्या 14-2403 पशुपालन (आयोजनेत्तर) 5535 छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग - 14 - सहायता अनुदान से वेतन प्राप्त करेंगे. प्रतिनियुक्ति भत्ता समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी सन्नियमों के अनुसार दिए जायेंगे.

5. **संस्था का रजिस्ट्रीकरण :**

(1) प्रत्येक संस्था, जो समाज में पशु कल्याण के कार्यो से संबद्ध हो वे छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग रायपुर से रु. 50.00 रुपए (पचास रुपए) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से रेखांकित मांग देय ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग रायपुर के नाम से देय होगा, भुगतान कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे.

(2) प्रत्येक संस्था, अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे रेखांकित मांग देय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में पांच सौ रुपए मात्र की पंजीयन शुल्क के साथ जो वापसी योग्य नहीं होगा, प्ररूप एक तथा दो में तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करने पर पंजीकृत की जाएगी.

(3) प्रत्येक संस्था आवेदन के साथ प्रत्येक न्यासी या व्यक्ति या उस संस्था द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगी :-

(क) संस्था के व्यक्ति/न्यासी/कार्यकारिणी सदस्य का नाम पता और ऐसी संस्था के पद में उनके उत्तराधिकार की रीति

(ख) संपत्ति के ब्यौरे चाहे वह स्थावर या जंगम हो, और उसे अर्जन करने की रीति तथा स्रोत

(ग) संस्था के पूर्ववर्ती तीन वर्षो की सकल वार्षिक आय और उनके स्रोत तथा संस्था के खर्चे यदि संस्था इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या अन्यथा संस्था की स्थापना के दिनांक से कार्य कर रही है.

(4) उप नियम (3) में यथा उपबंधित विवरण के साथ, संस्था की स्थापना के विलेख या लिखत की प्रतिलिपिं या ऐसे अन्य दस्तावेज जो कि आयोग की राय में ऐसी संस्था के आरंभ, प्रकृति और उद्देश्य पर्याप्त रूप से दर्शित करते हैं संलग्न होगी या यदि कोई ऐसा विलेख या दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया हो, तब प्राधिकृत व्यक्ति का शपथपत्र जिसमें संस्था का आरंभ, प्रकृति तथा उद्देश्य की पूर्ण विशिष्टियां होगी, जहां तक कि वे प्राधिकृत व्यक्ति को ज्ञात हो.

(5) उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट विवरण प्रत्येक न्यासी या व्यक्ति या इस निमित संस्था द्वारा प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

(6) विवरण पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आवेदन में अभिलिखित जानकारी की अधिप्रमाणिकता कि लिए उत्तरदायी होगा और यदि जब कभी भी सत्यापन हेतु आयोग द्वारा मांगा जाए, तो मूल दस्तावेजों को उपलब्ध कराएगा.

(7) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत संस्था, आयोग द्वारा विधिमान्य तथा विचारणीय होगी.

6. **आयोग का रजिस्टर :** आयोग का एक रजिस्टर प्ररूप तीन में होगा जो रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा के अधीन संधारित और रखी जाएगी.

7. **आवेदनों की जांच :** नियम 5 के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रार, आवेदन की जांच करेगा तथा संस्था के रजिस्टर में विषय वस्तु की प्रविष्टि करने के पूर्व निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिनिश्चित करेगा.

(क) क्या संस्था छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम 2004, (क्र. 23 सन् 2004) के कार्य क्षेत्र के भीतर आती है ;

(ख) ऐसी संस्था से संबंधित संपत्ति के ब्यौरे ;

(ग) ऐसी संस्था के न्यासी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम तथा पते ;

(ग) ऐसी संस्था के न्यासी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम तथा पते ;

(घ) ऐसी संस्था में पद के उत्तराधिकार की रीति ;

(ङ.) ऐसी संस्था के आय तथा व्यय ;

(च) ऐसी संस्था के आय का स्रोत ;

(छ) संस्था में पशुओं की संख्या, जिसमें दुधारू, कमजोर, विकलांग, वृद्ध पशुओं आदि का अलग-अलग विवरण ;

(ज) ऐसी संस्था में प्राप्त या जप्त पशुओं की संख्या एवं विवरण जिनको कत्ल खाना भेजा जा रहा था, या पुलिस की कार्यवाही/न्यायिक अभिरक्षा में हो और ;

(झ) संयुक्त संचालक/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं की अनुशंसा जिस जिले में संस्था स्थापित हो.

8. नियम 7 के अधीन तथ्य अभिनिश्चित करते समय, रजिस्ट्रार, संस्था प्रमुख या व्यक्ति या संस्था द्वारा इस निमित विशेष रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सूचना तामील करवाएगा कि वह मूल दस्तावेज या ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के लिए उचित समझी जाए.

9. (1) नियम 8 के अधीन तथ्य अभिनिश्चित करने के पश्चात् रजिस्ट्रार, समस्त विशिष्टियों को आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा तथा रजिस्टर को आवेदन पत्रों के साथ आयोग के सचिव के माध्यम से, विचार अनुमोदन के लिए क्रियान्वयन समिति के समक्ष रखेगा.

(2) क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रार प्ररुप चार में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा उसे रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आवेदक को भेजेगा.

(3) क्रियान्वयन समिति द्वारा आवेदन नामंजूर किए जाने की दशा में संस्था, आवेदन नामूंजर किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगी.

10. **निधियों का संचालन :**

(1) आयोग के निधियों का संचालन आयोग के सचिव एवं रजिस्ट्रार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा.

(2) रजिस्ट्रार, लेखा पुस्तिका, सुसंगत सब्सिडी रजिस्टर, वाउचर और अन्य संबंधित दस्तावेज उसी रीति में रखने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि सरकारी कारबार के संव्यवहार में रखे जाते हैं.

(3) प्रत्येक तिमाही के दौरान प्राप्त आय और उपगत व्यय के ब्यौरे सम्मिलन में छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएगें.

11. **व्यय की रीति :**

(1) कोई व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक की छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित न हो, छ.ग. गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति में निम्नानुसार सदस्यों का समावेश होगा :-

(क) अध्यक्ष - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग ;

(ख) सदस्य - छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के समस्त सदस्य ;

(ग) सदस्य - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (पशुपालन) विभाग ;

(घ) सदस्य - पदेन सचिव, अपर संचालक/संयुक्त संचालक, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर ;

(ड.) सदस्य - रजिस्ट्रार/उप संचालक, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग.

(2) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति द्वारा मंजूरी के पश्चात् ही संस्थाओं को सब्सिडी/अनुदान दिया जाएगा.

(3) क्रियान्वयन समिति की स्वीकृति उपरांत रजिस्ट्रार, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग से अनुमति प्राप्त कर अनुदान राशि वितरण करेगा.

(4) क्रियान्वयन समिति को व्यय स्वीकृत करने की सीमा अधिकतम 9.00 लाख (नौ लाख रुपए) होगी.

(5) अनुदान राशि संस्थाओं को 2-3 किश्तों में दिया जाएगा. जिसका निर्णय समिति द्वारा परिस्थितियों एवं विवेकानुसार किया जाएगा.

(6) आयोग/क्रियान्वयन समिति प्रत्येक बैठक में उपस्थित प्रति सदस्य (शासकीय/अशासकीय) रुपए 200/- तक व्यय करने अनुज्ञात होगा.

(7) आयोग कार्यालय के कल्याण व्यय प्रतिमाह रुपए 2000/- (दो हजार रुपए) तक किया जा सकेगा.

(8) आयोग कार्यालय में आकस्मिक एवं विविध खर्च के लिए रुपए 25000/- (रुपए पच्चीस हजार) तक स्थायी अग्रिम रखने एवं उसके व्यय का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार का होगा.

(9) रुपए 9.00 लाख से अधिक किसी व्यय/स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति आवश्यक होगी.

(10) अनुदान की पात्रता हेतु, संस्थाओं के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होगी :-

(क) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पंजीयन.

(ख) संस्था में कम से कम 100 पशुओं की संख्या, जिसमें अलाभप्रद, अनुपयोगी, निशक्त एवं वृद्ध पशु भी सम्मिलित होगें.

(ग) संस्था को जप्त कृषिक पशु को अभिरक्षा में लेने तथा उनका भरण पोषण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी हेतु सहमति देना होगा.

(घ) संस्था को आयोग द्वारा अनुदान दिलाने हेतु आयोग के क्षेत्रीय सदस्य की अनुशंसा आवश्यक होगी.

(ड.) आयोग को संस्था प्रदत्त अनुदान के कार्यों के निरीक्षण, समीक्षा का अधिकार होगा. संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. संस्था को समय-समय पर आयोग द्वारा दिए जाने वाले आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा.

(च) संस्था को आयोग से प्राप्त राशि को संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा.

(छ) पंजीकृत संस्थाओं को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाना होगा.

(11) आयोग की क्रियान्वयन समिति, संस्थाओं के निम्न गतिविधियों के लिए अनुदान स्वीकृत कर सकेगी.

(एक) संस्था के कमजोर अशक्त, वृद्ध पशुओं के पालन-पोषण हेतु, संलग्न प्रपत्र-6 अनुसार रुपए 300.00/इकाई/माह, राशि (अनुदान की अधिकतम सीमा रुपए सात लाख/प्रतिवर्ष) अनुदान स्वीकृत की जावेगी.

(दो) नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु प्रजनन योग उन्नत नस्ल के साड़ प्रदाय हेतु अधिकतम रुपए पंद्रह हजार प्रतिवर्ष होगी.

(तीन) संस्था के समस्त पशुओं को संक्रामक बीमारी से रोकथाम एवं चिकित्सा हेतु टीकाकरण एवं औषधि के लिए अनुदान. (अधिकतम 25000.00 रुपए).

(चार) पशुओं के पेयजल तथा हरा चारा उत्पादन हेतु सिंचाई व्यवस्था जिसमें नलकूप खनन, कुंआ निर्माण, विद्युतीकरण एवं पाइप आदि सम्मिलित घटक होंगे. (अधिकतम पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष) दी जाएगी.

(पांच) शेड निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सब्सिडी/अनुदान (अधिकतम एक लाख रुपए).

(छः) गोबर, गौमूत्र उपयोगिता/महत्व प्रशिक्षण शिविर हेतु (अधिकतम रु. दस हजार/प्रतिवर्ष)

(सात) संस्था में उपलब्ध गोबर, गोमूत्र, अनुपयुक्त चारा के बेहतर उपयोग जैविक खाद ऊर्जा प्रदाय हेतु किया जाएगा. इस हेतु बायो गैस संयंत्र, नाडेप टैंक, वर्मी कंपोस्ड टैंक आदि स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाएगा. यह संस्था के आय में वृद्धि के साथ ही किसानों के निर्देशन में सहायक होगी. (अधिकतम रुपए एक लाख/प्रतिवर्ष)

(आठ) जप्त पशुओं के पालन-पोषण हेतु प्रति यूनिट रुपए 10.00/प्रतिदिन व्यवस्था की जाएगी. (प्रपत्र-6)

(नौ) प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं के बचाव हेतु अनुदान, प्रति ईकाई रुपए 10.00 प्रतिदिन अधिकतम पचास हजार रुपए निर्धारित की जाएगी जैसा की प्रपत्र- 6 में विहित है.

(आपदाग्रस्त क्षेत्र में यदि पंजीकृत संस्था न होने पर समीप की पंजीकृत संस्था/शासकीय संस्था द्वारा बचाव कार्य किए जाने पर सब्सिडी दिया जा सकेगा.)

(दस) पशु कल्याण हेतु प्रचार-प्रसार एवं कृषक शिविर ग्राम स्तर पर प्रति शिविर रुपए 3000.00 तीन हजार (अधिकतम राशि पंद्रह हजार रुपए प्रति संस्था/प्रतिवर्ष).

(ग्यारह) संस्थाओं को वार्षिक कृषक सम्मेलन आयोजित करने एक बार में अधिकतम सात हजार (7000.00 रुपए).

(बारह) संस्था की भूमि पर चारा विकास हेतु (अधिकतम रुपए पच्चीस हजार/प्रतिवर्ष)

(तेरह) ग्रामीण विकास से संबंधित राज्य शासन की योजनाओं भूमि के सुधार, चारा विकास, पर्यावरण, भूमि संरक्षण आदि हेतु.

(चौदह) आयोग में उपलब्ध सब्सिडी/अनुदान राशि के आधार पर तथा संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा. सब्सिडी/अनुदान स्वीकृति में छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा.

12. **संस्थाओं द्वारा लेखा संधारण :**

(1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक संस्था, 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा प्रस्तुत करेगी तथा चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा सम्यक् रूप से सपरीक्षित तुलना पत्र प्रस्तुत करेगी.

(2) लेखा और भंडार बहीखाता के सामान्य सिंद्धात पर जंगम और स्थावर संपत्तियों की लेखा पुस्तक, व्यय के पुरजे (व्हाउचर्स) पत्र व्यवहार और कागजात संधारित करना संस्था का कर्तव्य होगा.

(3) चार्टर्ड एकाउंटेट अपने संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितताओं अविधिपूर्ण और अप्राधिकृत व्यय या दुर्विनियोग धोखाधड़ी के समस्त मामलों को विनिर्दिष्ट करेगा और संस्था को दी गई अनुदान या सहायता और जिस उद्देश्य के लिए यह दिया गया है उसको प्राप्त करने में इसके उपयोग के बारे में अपनी राय देगा.

(4) लेखा, आय- व्यय विवरण पत्र संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग का रजिस्ट्रार उसकी जांच करेगा और उसे अपने अभिमत सहित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा.

(5) यदि छत्तीसगढ़ गौ-सेवा क्रियान्वयन समिति को सामाधान हो जाए कि किसी संस्था द्वारा संपत्ति चाहे वह स्थावर हो या जंगम की बावत कोई धोखाधड़ी या दुर्विनियोग किया गया है तो संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान तत्काल प्रभाव से रोक सकेगा एवं पंजीयन निरस्त कर प्रकरण को राज्य सरकार को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा. परंतु आयोग द्वारा कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित संस्था को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए.

13. **शिकायत फाइल करने की रीति :**

(1) पशु कल्याण में अभिरुचि रखने वाले कोई व्यक्ति यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि -

(क) संस्था में रखे गए पशुओं की देखरेख एवं संधारण में कुप्रबंध ;

(ख) निधि का दुर्विनियोग या धोखाधड़ी ;

(ग) इस अधिनियम उपबंधों के या इन नियमों के उल्लंघन में संस्था की किसी न्यासी द्वारा कोई अविधिपूर्ण कार्य किया जा रहा है तो वह या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अनुसूचित बैंक के पचास रुपए के धनादेश (डिमांड ड्राफ्ट) सहित रजिस्ट्रार को सम्यक् रूप से संबोधित शिकायत आयोग को कर सकेगा.

(2) शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के संबंध में कोई सम्यक् दस्तावेजी साक्ष्य या शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा.

(3) शिकायत पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उसमें प्राप्ति की तारीख डालेगा और उसे शिकायत रजिस्टर में पंजीयन कराएगा. यह शिकायत प्राप्त होने के तारीख से तीन दिन के भीतर शिकायतकर्ता को शिकायत की अभिस्वीकृति भी भेजेगा. रजिस्ट्रार शिकायत का परीक्षण कर सचिव के माध्यम से छत्तीसगढ़ गौ-सेवा क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा.

(4) शिकायत के विचारण पर यदि छत्तीसगढ़ गौ-सेवा क्रियान्वयन समिति प्रथम दृष्टया इस निर्णय पर पहुंचता है कि शिकायत में सारवान सत्यता विद्यमान है तो वह ऐसे अधिकारी द्वारा जांच का आदेश देगी जिसे वह उचित समझे.

(5) मामले में जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी -

(क) शिकायत के सार तत्व पर आधारित निश्चित और स्पष्ट रूप से आरोप निर्धारित करेगा.

(ख) शिकायत के सार पर आधारित समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण देगा.

(ग) दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा और उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा निर्धारित किए गए आरोपों की मदें प्रमाणित करना प्रस्तावित है, तैयार करेगा.

14. **जांच की रीति :**

(1) जांच अधिकारी नियम 13 के उप नियम (5) के अधीन विचारित निर्धारित आरोपों सहित सुनवाई हेतु सुनिश्चित स्थान, तारीख और समय, निर्धारित किए गए आरोपों से बचाव हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तारीख आदि को सम्मिलित करने हेतु संस्था के प्रमुख/न्यासी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है को रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्ररुप पांच में एक सूचना पत्र भेजेगा.

(2) शिकायत के विरुद्ध बचाव कथन प्राप्त होने पर जांच अधिकारी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार आगे जांच कार्यवाही करेगा.

(3) जांच अधिकारी निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

(क) दोनों पक्षों की मौखिक बहस अभिलिखित की जाएगी.

(ख) दोनों पक्षों के गवाहों का परीक्षण करना और उनके साक्ष्यों को अभिलिखित करना.

(ग) दोनों पक्षों के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाएगा.

(घ) जांच अधिकारी दैनिक कार्यवाही का विवरण आदेश-पत्र में अंकित करेगा.

(ड.) यदि किसी भी पक्ष द्वारा किसी दस्तावेज या कार्यवाही के अभिलेख की प्रति मांगी जाए तो वह उसे लिखित अध्यपेक्षा और दो रुपए प्रति पृष्ठ के भुगतान पर उपलब्ध करायी जाएगी.

(4) जांच अधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख और समय पर दोनों पक्ष, दस्तावेज व मौखिक सबूत जिनके द्वारा निर्धारित आरोप सिद्ध प्रस्तावित हो, प्रस्तुत करेंगे. गवाहों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया जावेगा. जांच अधिकारी प्रकरण के संबंध में दोनों पक्षों और साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकता है जो मामले के तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो.

(5) जांच अधिकारी दोनों पक्षों को ऐसे दस्तावेजों का अवलोकन करने हेतु युक्तियुक्त अवसर देगा, जो अभिलेखित किए गए जांच अधिकारी संबंधित पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, यदि जांच अधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है.

(6) जब जांच समाप्त हो जाए तो जांच अधिकारी अपना प्रतिवेदन तैयार कर छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति के विचारार्थ और आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा.

15. नियम 14 के उपनियम (6) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे.

16. आयोग के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आयोग के आदेश से संसूचित किए जाने की तारीख से 60 दिवस के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा.

17. **निरसन तथा व्यावृत्ति :** मध्यप्रदेश गौ - सेवा आयोग नियम, 1995 समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 23 18-पैतीस-93 दिनांक 29-9-1995 छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा अन्य समस्त नियम तथा संकल्प जो इस नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत थे इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे प्रमुख सचिव.

प्ररुप - एक

(नियम 5 देखिए)

कार्यालय...(यहां संस्था का नाम लिखे)

प्रति,

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग
रायपुर

विषय- छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम 2004 के अधीन संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन.

यतः पूर्वोक्त अधिनियम में पशु कल्याण संस्था के रजिस्ट्रीकरण उपबंध है. अतः संस्था उक्त अधिनियम की 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहती है. अतः छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम 2004 के नियम 5 के अपेक्षित विशिष्टियों सहित, तीन प्रतियों में यह आवेदन प्रस्तुत है.

.... बैंक का रुपये..का एक रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट क्रमांक................................ दिनांक.............................. रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न है.

पूरा पता :-

....
....

संस्था प्रमुख या उसका प्राधिकृत व्यक्ति
संस्था की मुहर

सूची

अनुक्रमांक	अभिलेखों का विवरण
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर, संस्था प्रमुख

पावती

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र मय रुपये पांच सौ के डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक.......................... सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों सहित प्राप्त किया.

रायपुर :
दिनांक :

छ.ग. गौसेवा आयोग, छ.ग. रायपुर के
आवक लिपिक के हस्ताक्षर

नियम - 5 - 3 (क)
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापनपत्र

1. संस्था का नाम : --

2. संस्था का कार्यालय : --

3. जिला : तहसील ----------------------जिला -------------------------

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगे : --

----

5. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध कार्यकारिणी का सौंपा गया है जिनके नाम एवं पते हस्ताक्षर सहित :-

अनु क्र.	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.	--------------------	------------------	----------------	----------------
2.	--------------------	------------------	----------------	----------------
3.	--------------------	------------------	----------------	----------------
4.	--------------------	------------------	----------------	----------------
5.	--------------------	------------------	----------------	----------------
6.	--------------------	------------------	----------------	----------------
7.	--------------------	------------------	----------------	----------------
8.	--------------------	------------------	----------------	----------------
9.	--------------------	------------------	----------------	----------------
10.	--------------------	------------------	----------------	----------------

6. समिति के इस ज्ञापन के साथ समिति के विधान/उपविधि की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है. साथ ही प्ररुप "एक", "दो", की जानकारी भी प्रस्तुत है.

संस्था प्रमुख के नाम
सील और हस्ताक्षर

प्ररुप - दो
(नियम 5 देखिए)

सरल क्रमांक — अभिलेखों की विशिष्टियां

1. संस्था का नाम.. स्थापना की तारीख.....................

2. अवस्थिति स्थान..तहसील.................................जिला.................................

3. संस्था के उद्गम और प्रकृति तथा उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले विलेख, लिखित या ऐसे संक्षिप्त सार की प्रतियां संलग्न करते हुए संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य..

4. छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने पर उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र.

5. संस्था की उपविधियां, यदि कोई हो और उसकी प्रमाणिकता.

6. न्यासी सदस्यों का नाम, उनके पते सहित तथा संस्था में धारित पद तथा संस्था के संबंध में उत्तराधिकार का ढंग.

7. संस्था के कर्मचारी, यदि कोई हो :

8. पशुधन का विवरण — संख्या — नस्ल

   (एक) गाय
   (दो) बछड़ी (कलोर)
   (तीन) बैल
   (चार) बछड़े नर
   मादा
   (पांच) अन्य पशुधन (प्रकार दर्शाएं)

9. पिछले 3 वर्षो का दुग्धोत्पादन — कुल औसत प्रति पशु — विक्रय मूल्य यदि कोई हो

10. संस्था द्वारा धारित भूमि का पूर्ण विवरण (भू अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति) — कृषि — चराई/घास — अन्य श्रेणी की

    (क) सिंचित
    (ख) असिंचित

11. उपयोग में आने वाली जमीन का वर्गीकरण (छायाप्रति) — सड़क में — भवन में — अन्य प्रयोजन में

12. आय का स्रोत.

13. गतिविधियां (संक्षिप्त में टीप दें)

14. गत 3 वर्षो का संपरीक्षित लेखा.

15. अनुदान प्राप्ति संबंधी विवरण

क्रमांक	संस्था जिससे अनुदान प्राप्त हुआ	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	गौ सेवा आयोग म.प्र.			
2.	भारत पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई			
3.	सासंद निधि			
4.	विधायक निधि			
5.	अन्य संस्था			

16. संस्था के लेखा संबंधी विवरण :-

क्रमांक	विवरण	स्थिति
1.	संस्था का अनुमानित वार्षिक व्यय	----------------------------------
2.	खाद, गौमूत्र, औषधि, कीटनाशक, चमड़े इत्यादि से वार्षिक आय.	----------------------------------
3.	पिछले वित्तीय वर्ष की आडिट रिपोर्ट संलग्न है या नहीं.	----------------------------------
4.	संस्था संचालन हेतु अंतिम कार्यवाही का विवरण संलग्न है या नहीं.	----------------------------------
5.	संस्था का लेख पुस्तिका अनुसार कोष बैंक में है या व्यतिक्तगत रूप से संचालित है	----------------------------------
6.	संस्था का बैंक का खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम.	---------------------------------- ----------------------------------
7.	क्या संस्था की लेखा पुस्तिका अद्यतन रखी जाती है.	----------------------------------
8.	संस्था समिति यदि निर्वाचित है तो चुनाव का वर्ष और वर्तमान अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के नाम, पते दूरभाष क्रं आदि संलग्न करें.	---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
9.	संस्था द्वारा संचालित विशेष गतिविधियों का विवरण	----------------------------------

17. अन्य जानकारियां :-

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

प्ररुप - तीन
(नियम 6 देखिए)
संस्था का रजिस्टर

संस्था का नाम--पता---------------------
--------------------------उद्देश्य------------------------------- स्थापना की तारीख रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि कोई हो) (जब किसी अधिनियमन/के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो)--

रजिस्ट्रीकरण का तारीख	आवंटित रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	न्यासियों या कर्मचारियों के नाम व पते	न्यासी या कार्यकारिणी के उत्तराधिकारी होने की रीति
1	2	3	4

संपत्ति के ब्यौरे (अचल संपत्ति)

कृषि भूमि	मूल्य	अकृषि भूमि	मूल्य	भवन पक्के निर्मित/कच्चे नि.	मूल्य
5	6	7	8	9	10

संपत्ति के ब्यौरे (चल संपत्ति)

पशुधन	मूल्य	प्रतिभूतियां	मूल्य	निवेश	नगद मूल्य	उपकरण	साधित्र	वाहन
11	12	13	14	15	16	17	18	19

कॉलम 17 से 19 तक का मूल्य	संपति का कुल मूल्य	संस्था की स्थापना तारीख से कुल आय एवं गत 3 वर्षों का आय (वर्षवार)	आय का स्त्रोत
20.	21	22	23

पिछले 3 वर्षो का व्यय (वर्षवार)	अन्य कोई विवरण
24	25

हस्ताक्षर अध्यक्ष
छ.ग. गौ-सेवा आयोग
रायपुर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रार
छ.ग. गौ-सेवा आयोग
रायपुर

प्रपत्र - (क)

नियम - 7 (छ)

संयुक्त संचालक/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला ---------------------------------------द्वारा सत्यापन एवं पुष्टिकरण

(क) - गौशाला संबंधी विवरण

अ.क्र.	विवरण	जानकारी
1.	संस्था का नाम	--------------------------------------
2.	संस्था का डाक का पूर्ण पता	--------------------------------------
3.	जिला	--------------------------------------
4.	संस्था का स्थापना वर्ष	--------------------------------------
5.	संस्था आयोग म.प्र. में पंजीयन क्र./ दिनांक यदि हो.	--------------------------------------
6.	अन्य संस्था का नाम तथा पंजीयन क्र./दिनांक	--------------------------------------
7.	संस्था के संपर्क सूत्र का नाम पता तथा दूरभाष क्रमा.	--------------------------------------

(ख) - भूमि/भवन संबंधी विवरण

अ.क्र.	विवरण	जानकारी
1.	संस्था का कुल क्षेत्रफल	--------------------------------------
2.	कृषि योग्य भूमि (सिंचित/असिंचित)	--------------------------------------
3.	अकृषि योग्य भूमि	--------------------------------------
4.	चरनोई का रकबा	--------------------------------------
5.	भवन निर्मित (क्षेत्रफल)	--------------------------------------
6.	उपलब्ध पानी की व्यवस्था (नदी, नाला, तालाब, ट्यूबवेल आदि)	--------------------------------------
7.	उपलब्ध गोबर गैस प्लांट	--------------------------------------
8.	उपलब्ध सोलर पेनल	--------------------------------------
9.	साईलोपिट/अन्य	--------------------------------------
10.	उपलब्ध वाहनों की संख्या (बैलगाड़ी, टैक्टर, जीप, साइकिल आदि)	--------------------------------------

(ग) - पशुधन के विवरण

अ.क्र	पशुधन	कुल पशुधन
1.	दुधारू गाय	--
2.	गाभिन गाय	--
3.	बॉझ/अनुत्पादक/वृद्ध/ अपंग गाय एवं बैल.	--
4.	सांड	--
5.	बैल	--
6.	बछड़े/बछड़ी/कलोर	--
7.	3 माह तक आयु तक दूध पीने वाले वत्स.	--
8.	न्यायालय/पुलिस कस्टडी से प्राप्त गौपशुओं की संख्या तथा प्राप्ति तिथि.	--
9.	क्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है (8)	--

संस्था प्रभारी के
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प.चि.स शल्यज्ञ
पशु चिकित्सालय
जिला -------
हस्ता. एवं पद मुद्रा

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
जिला ----------
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

परफार्मा - 6

नियम - 11 (11-आठ -नौ)

(वृद्ध, अपंग, कमजोर तथा जप्त किए गए पशुओं की सब्सिडी हेतु परफार्मा)

संस्था का नाम --

तहसील -- जिला --

वित्तीय वर्ष ------ के लिए पालन - पोषण सब्सिडी राशि.

क्रमांक	पशु वर्ग का नाम	समतुल्य इकाई	संख्या	कुल वयस्क पशु इकाई
1.	गाय	1.0		
2.	क्लोरे	0.9		
3.	बछड़े/बछिया			
	(क) एक वर्ष की उम्र तक	0.4		
	(ख) दो वर्ष की उम्र तक	0.7		
4.	सांड/बैल	1.2		
5.	दूध पीने वाले वत्स	0.2		
6.	अन्य भैंस, भैंसा, जर्सी गाय	1.2		
	योग (कुल वयस्क पशु इकाई)			

हस्ताक्षर एवं सील
पशु चिकित्सा सेवाएं
पशु चिकित्सालय
जिला------

हस्ताक्षर
सदस्य
छ.ग.गौ-सेवा आयोग
रायपुर

हस्ताक्षर एवं सील
प्रबंधक
(संस्था -----------)

छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग

प्ररुप - चार

[देखे नियम 9 (2)]

पंजीयन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आयोग के रजिस्टर में अनुक्रमांक ------------------ पर छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम 2004 की धारा 10 के उपबंध और उसके बनाए गए नियमों के अनुसार---संस्था को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया गया है :-

1. संस्था अपने संविधान का पालन करेगी.

2. संस्था उन लक्ष्यों, जिनके लिए उसको गठित किया गया है, के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करेगी.

3. संस्था क्षयशील माल को छोड़कर अन्य संपत्ति या आस्तियों का निर्वतन आयोग की अनुमति के बिना नहीं करेगी.

4. संस्था के नाम से प्राप्त होने वाले समस्त आगमों में की प्रविष्टि समुचित लेखा पुस्तकों में की जाएगी और चार्टेड एकाउंटेंट से लेखा परीक्षण कराया जाएगा.

5. संस्था पिछले वित्तीय वर्ष का उसका संपरीक्षित लेखा और विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

6. आयोग के नियम 11 (10) के अधीन शर्तों का पालन संस्था को करना अनिवार्य होगा.

दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति संस्था के अभिलेखों में सुरक्षित रखते हुए इसके साथ लौटाई जाती है.

क्रमांक ------------------------

तारीख ------------------------

सचिव
छ.ग. गौ-सेवा आयोग
रायपुर

रजिस्ट्रार
छ.ग. गौ-सेवा आयोग
रायपुर

अध्यक्ष
छ.ग. गौ-सेवा आयोग
रायपुर

प्ररुप - पांच
(देखे नियम 14)

शिकायत के निपटारे के लिए सूचना

चूंकि श्री ---------------------------------- पुत्र श्री -- निवासी---ने आप/आपकी संस्था के विरुद्ध लिखित शिकायत की है, अत: एतद्द्वारा आपको समन किया जाता है कि आप या तो स्वयं या अपके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता जो शिकायत से संबंधित समस्त तात्विक प्रश्नों का उत्तर दे सके, इस प्रकार की गई शिकायत के विरुद्ध बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित तारीख----------------समय............ पर अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में उत्तर देने के लिए उपस्थित होवें.

साथ ही यह भी ध्यान रखे कि ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित न होने पर शिकायत की सुनवाई होगी और आपके विरुद्ध एक पक्षीय अवधारित की जायेगी.'

छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के आदेशानुसार यह सूचना दिनांक ------------------------------ को जारी की गई है.

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग
रायपुर

Raipur, the 24th June 2005

NOTIFICATION

क्रमांक 1098/35/98/गौसेआ/नि./2005.— In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) the state Government of Chhattisgarh hereby makes the following rules, namely :-

Rules

1. **Short title and commencement :**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :** In these rules, unless the context otherwise requires ;-

(a) "Act" means the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) ;

(b) "Allowances" means travelling allowance and daily allowance ;

(c) "Secretary" means Officiating Secretary, Additional Director/Joint Director, Directorate of Veterinary Services, Chhattisgarh ;

(d) "Fees" means registration fee for registration of Institution under sub-section (2) of section 11of the Act or Fee realised under rule 05 of these rules ;

(e) "Form" means the forms appended to these rules ;

(f) "Registrar" means any officer appointed under Section 10 of the Act and assigned to perform the function of the Registrar ;

(g) "Trustee" means a persons or a body of persons by whatever name and designation known in whom administration of the Institution is vested and includes any person who is authorised and liable as if he were a trustee.

(h) "Working Committee" means Chhattisgarh Go-Seva Ayog Working Committee.

3. **Allowances :** There shall be paid travelling and daily allowances to non - official members of the Ayog for attending the meeting of the Ayog as are applicable to grade "A" officers of the State Government ; Provided that the members shall not be paid fare of 1st class air condition by rail or any journey by Air.

4. **Terms and Conditions of Service of Employees :** As per the Set-up/ Post created and sanctioned by the State Government for Chhattisgarh Go-Seva Ayog by the order No. 1288/35/873/ Go seva/ 2004-05/ Raipur dated 15-7-2004/ 28-7-2004. The created and sanction set-up/post are as follow :-

(1)	(a)	Deputy Director, Veterinary Service	-	One
	(b)	Veterinary Assistant Surgeon	-	Two
	(c)	Assistant Veterinary Field Officer	-	Two
	(d)	Assistant Grade - II	-	One
	(e)	Steno Typist	-	One
	(f)	Accountant	-	One
	(g)	Driver	-	Two
	(h)	Peon/ Choukidar	-	Two

(2) The Deputy Director Veterinary Service so appointed under Sub - rule (1) shall also function as the Registrar of the Ayog and shall discharge such functions and duties and the Ayog may assign to him under the Act.

(3) The Registrar shall be the administrative head of the office of the Ayog and shall be responsible for all transaction of the business of the Ayog.

(4) All other employees shall function under the control and guidance of the Registrar.

(5) All officers and employees shall be the servant of the State Government, Department of Animal Husbandry (Veterinary Services) and their service conditions shall be governed as applicable to person holding the corresponding post in their parent department and shall get such salary, other allowances, and other facilities as may be determined by the State Government to their employees from time to time.

(6) Every officer and employees so appointed under sub - rule (1) of Rule 4, shall get their pay and other allowances from the budget allotted to the Animal Husbandry Department and the Employees so appionted shall be treated as on Deputation and they get Salary, under the head No. 14-2403 Animal Husbandry. (Non Plan) 5535. Chhattisgarh Go - Seva Ayog 14- Grant - in - aid Deputation Allowance shall be issued as per norms of financial Department from Time to time.

5. **Registration of Institution :**

(1) Every Institution which is engaged in Animal Welfare in the society may get Application form on payment of Rs. 50/- (Fifty Rupees) by Cash or by Demand Draft of Nationalized bank in favour of the Registrar, Chhattisgarh Go - Seva Ayog payable at Raipur.

(2) Every Institution shall be registered under section 11 of the Act on submission of an application in Form I and II in triplicate, accompanied by a registration fee of Rupees Five hundred to be remitted in the form of a crossed demand draft from Nationalised bank in favour of Registrar Chhattisgarh Go - Seva Ayog Raipur which shall be non refundable.

(3) Every Institution shall also furnish along with the application the following particulars, dully signed by every trustee or the person or the agent specially authorised by the Institution :-

(a) The name and address of the person/ trustee/ executive member of the Institution and mode of their succession of the Office of the Institution.

(b) The details of the property whether movable or immovable and mode and source of acquiring it.

(c) The gross annual income and its sources and expenditure of the Institution for the last three preceding years, if functioning before the commencement of this Act or otherwise since the date of establishment of the Institution.

(4) The statement as provided in sub-rule (3) shall also be accompanied by a copy of deed or the instrument establishing the Institution or such other document as in the opinion of the Ayog sufficiently showing the origin, nature and object of such Institution, or if no such deed or instrument or document has been executed then the affidavit of the authorised person shall contain in full, particulars of an origins, nature and object of the Institution so far as they are Known to the authorised person.

(5) The statement as specified in sub-rule (4) be signed by every trustee or the person or his agent authorised by the Institution in this behalf.

(6) Every person signing the statement shall be responsible for the authenticity of the information recorded in the application and shall provide the original documents, if any, as and when demanded by the Ayog for verification.

(7) Institution which are registered in Chhattisgarh Go - Seva Ayog shall be only valid & entertained by the Ayog.

6. **Register of Ayog :** There shall be a register of Ayog in Form - III which shall be maintained and kept under the safe custody of the Registrar.

7. **Scrutiny of the Application :** After receiving the application under rule 5 the Registrar shall scrutinise the application and ascertain the following particulars before entering the contents in the register of Institution :-

(a) Whether the Institution comes within the purview of the Chhattisgarh Go - Seva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004) ;

(b) The details of the property pertaining to such Institution ;

(c) The name and address of the trustee or the executive member of such Institution ;

(d) The mode of succession to the office of such Institution ;

(e) The income and expenditure of such Institution ;

(f) Source of income of such Institution ;

(g) No. of Animals along with details of milch condition debility lameness age etc. in the Institution;

(h) Particulars along with Number of animals in the Institution Obtained, or seizure on the way to slaughter house or any other process of Police/ Judical Custody ; and

(i) Recommendation of Joint Director/ Deputy Ditrector, Veterinary Service of the District, where Institution is situated.

8. While ascertaining the fact under rule 7, the Registrar shall cause notice to be served to the head of Institution or the person or specially authorised agent in this behalf by the Institution, to produce the original documents or any other information that may be deemed fit by the Registrar for verification.

9. (1) After ascertaining the facts under rule 8, the Registrar shall enter all the particulars in the register of Institution, and shall place the register along with the application before the Working Committee through the Secretary of the Ayog for consideration, approval.

(2) After approval of the Working Committee, the Registrar shall issue a certificate of Registration in Form - IV and send the same to the applicant under registered post with acknowledgement due.

(3) In case the application is rejected by the Working Committee, the Institution may prefer an appeal to State Government within sixty days from the date of rejection of its application.

10. **Operation of Funds :**

(1) The funds of the Ayog shall be operated Jointly by the Secretary and Registrar of the Ayog.

(2) The Registrar shall be responsible for maintaining account books, relevant subsidiary register, vouchers and other related documents in the same manner as are maintained in the transaction of Government business.

(3) The details of income received and the expenditure incurred during every quarter shall be submitted in the meeting before the Chhattisgarh Go - Seva Working Committee for approval.

11. **Manner of Expenditure :**

(1) No expenditure shall be incurred unless the proper sanction of the Chhattisgarh Go - Seva Ayog Working Committee Members shall be include in the Chhattisgarh Go - Seva Ayog Working Committee as follow :-

(a) Chairperson - Chairperson Chhattisgarh Go -Seva Ayog.

(b) Member - All members of Chhattisgarh Go - Seva Ayog.

(c) Member - Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Department of Agriculture (Animal Husbandry).

(d) Member - Officiating Secretary, Additional Director/ Joint Director, Directorate Veterinary Services.

(e) Member - Registrar/ Deputy Director, Chhattisgarh Go - Seva Ayog.

(2) After sanction from Chhattisgarh Go - Seva Ayog Working Committee the institution shall be given subsidy/ Grant.

(3) After sanction from the working committee the Registrar with the permission of Chairperson shall disburse grant amount.

(4) The working committee shall sanction an expenditure upper limit for Rs. 9.00 Lacs. maximum (Rupees Nine Lac.)

(5) The grant amount payable to institution shall be in two to three installment by discretionary power of the Working Committee and in accordance to circumstances.

(6) The Expenditure on each meeting of the Ayog/ Working Committee shall be permitted up to Rs. 200 per member (Government/ Non - Government).

(7) Welfare Expenditure in the Office of Ayog shall be permitted up to Rs. 2000 per month. (Rupees Two Thousand)

(8) To meet the contingent and miscellaneous Expenditure in the Office of Ayog Rs. 25000.00.(Rupees Twenty Five Thousand) allowed to keep as an permanent advance and permitted to Registrar for its expenditure.

(9) For the Expenditure/ Sanction above Rs. 9.00 lacs. the permission from the Government Chhattisgarh shall be necessary.

(10) The Following conditions shall be necessary for the Institution for their Eligibility for the grant.

(a) Registration under Chhattisgarh Go-Seva Ayog.

(b) Institution shall be have at least of 100 animals, inclusive Non - profitable, uneconomic, disabled and aged animals.

(c) Institution shall accept responsibility of feeding and taking care of the seized Agricultural Animals

(d) Due recommendation of area member of the Ayog shall be necessary for the institution to get the grant from the Ayog.

(e) Ayog shall be empowered to inspect, review, the activities carried over by the grant provided from the Ayog. Institution shall necessarily furnish the utilization certificate for the Amount provided from the Ayog. Institution shall follow the order/ instruction issued by the Ayog from time to time.

(f) The amount received by the institution from the Ayog shall be advertised on the information board of the Institution.

(g) The registered Institution should celebrate World Veterinary Day.

(11) The Working Committee of the Ayog shall sanction the grant for the following activities.

(i) For the rearing of the weak, depilated, aged animal of the institution a grant shall be sanctioned of amount of Rs 300.00/ unit/ month. as per in the attached Performa - 6 (Maximum limit of grant Rs. Seven lacs/ per year).

(ii) For the breeding improvement programme, distribution of breed able bulls shall be done (Maximum Rs. fifteen Thousand/ per year).

(iii) For the prevention, control & treatment of contagious disease of all animals of Institution. the grant shall be given for the vaccine and medicine to Institution (Maximum Rs. Twenty Five Thousand/per year.)

(iv) For supply of the drinking water production of green fodder, and irrigation, in the Institution, the grant shall be given for drilling tube well, digging dug well, pipeline for supply of water and electrification etc. shall be included in the proposals (Maximum grant Amount Rs. Fifty Thousand/ as per conditions).

(v) Subsidy / grant for building, shed and repair works (Maximum of Rs. One lac/ per year).

(vi) For Training camp for the utility/ importance of cow dung urine (Maximum Rs. Ten Thousand/ per year)

(vii) Available cow dung, urine, waste fodder, residue in the institution shall be best utilised for making Organic Manure and Power Supply. For this grant shall be given for establishment of Biogas plant, Nadep Tank, Vermi composed Tank etc. This development increase the income of institution and also help for demonstration to the farmers (The Maximum Rs. One Lac/ per year.)

(viii) Expense for rearing of the seized animals shall be provided as per unit Rupees 10.00/ per day (Performa - 6)

(ix) For protection for animals from natural calamities, a grant shall be provided @ per unit Rs. 10.00 per day. Maximum Fifty Thousand. As unit Prescribed in Performa - 6.

(In the face of calamity, if a registered institute is not present the nearst registered institution/ Government Institution shall be extended for work through subsidy).

(x) For The animal welfare, extension and agricultural camps at village level per camp Rs. 3000/- (Three thousand) to a maximum Amount Rs. Fifteen Thousand per Institution/per year.

(xi) For Institution to organizing yearly Farmers Conference, once a maximum Rs. 7000/- (Rupees Seven Thousand).

(xii) For fodder development in the land of Institution, maximum Rs. Twenty Five Thousand/ per year.

(xiii) For the rural development activities related through schemes of State Govenment for land improvement fodder development environment, soil conservation etc.

(xiv) Amount subsidy/ grant from the Ayog shall be sanctioned on Institutions proposal and activities on priority basis. The subsidy/ grant sanction by the Working Committee of Chhattisgarh Go-Seva Ayog shall be unanimously recognized.

12. **Maintenance of Account by the Institution :**

(1) Every Institution registered under the Act shall submit its accounts of each year ending 31st March and submit balance sheet duly audited by a Chartered Accountant.

(2) It shall be the duty of the Institution to maintain the account books, vouchers, correspondance and documents of movable and immovable properties on the general principal of book keeping of account and stores.

(3) The Chartered Accountant shall specify in his audit report all cases of irregularities, illegal and unauthorised expenditure or misappropriation or fraud and state his opinion with regards to grant or aid given to Institution & its utilisation in achieving the object for which it is granted.

(4) On receipt of account, balance sheet and audit report, the Registrar of the Ayog shall critically examine the same and place it before the Working Committee of Ayog with his comments for consideration.

(5) If the Working committee of Ayog is statisfied that any fraud or misappropriation is committed by any Institution with respect to any property whether movable or immovable then Working Committed of Ayog have Rights to stop the grants, cancel the Registration and forward the matter to State Government for further legal action.

Provided that no action shall be taken by Working Committee of the Ayog unless a reasonable opportunity of being heard is given to the concerned Institution.

13. **Manner of Filing Complaint :**

(1) Any person having interest in welfare of cattle, and has reason to believe that there is, -

(a) Mismanagement in care and maintenance of cattle kept in the Institution ;

(b) Misappropriation of fund or fraud ; or

(c) Any unlawful act being committed by any trustee in contravention of the provision of the Act or these rules may file a complaint to the Ayog, either in person or by registered post duly addressed to the Registrar along with a fee of Rupees Fifty by demand draft drawn on a Scheduled Bank.

(2) A complainant in support of his complaint shall submit any documentary proof or an affidavit duly sweated by him.

(3) On receipt of complaint, the Registrar shall endorse, therein the date of receipt and cause to be registered in the complaint register. He shall also send the acknowledgement to the complain within three days from the date of receipt of the complaint. The Registrar shall scrutinise the complaint and place it before the Working Committee of Ayog through the Secretary of the Ayog for consideration.

(4) On Consideration of the complaint if the Ayog prima - facie comes to the conclusion that there exist substantial truth in the complaint, it may order for an enquiry by such officer as may be deemed fit.

(5) The officer authorised to inquire in the matter shall draw -

(a) A definite and distinct articles of charges on the material substance of the complaint.

(b) A statement of all relevant facts based on the substance of the complaint.

(c) List of documents by which and list of witness by whom, the articles of charges are proposed to be sustained.

14. **Manner of Inquiry :**

(1) The Inquiry Officer shall send a notice in Form V with articles of charges framed under sub - rule (5) of rule 13, stating the time, date and place of hearing, date of submission of statement of defence against the articles of charge by registered post with acknowledgement to the head of Institution and/ or trustee against whom the complaint is filed.

(2) On receipt of the statement of defence, against the complaint, the Inquiry Officer shall proceed with the Inquiry on the principle of natural justice.

(3) There Inquiry Officer, shall follow the following procedure, namely :-

(a) Oral arguments shall be recorded from both the parties.

(b) Examination of witnesses of both the parties and to record their evidences.

(c) Opportunity be given to both the parties to cross examine the witnesses.

(d) Inquiry Officer shall maintain an order sheet of day to day proceedings.

(e) If copy of any documents or record of proceeding is desired by either of the party, the same shall be provided on written request and payment of Rs. Two per page.

(4) On the date and time fixed by the Inquiry Officer the oral and documentary evidence by which the articles of charges are proposed to be proved shall be produced by both the parties. The witnesses shall be examined and cross examined. The Inquiry officer may also put such questions to parties and witnesses which are required to ascertain the fact of the case.

(5) The Inquiry Officer may give a reasonable opportunity to both the party for inspecting such documents which are taken into record. The Inquiry Officer may allow the party concerned to produce the additional evidence it is in the opinion of Inquiry Officer that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

(6) When the Inquiry is completed, the Inquiry Officer shall prepare his report and submit it to the working committee of Ayog for consideration and order.

15. After receiving the report under Sub-rule (6) of Rule 14, the Ayog shall pass such order as it deems fit.

16. Any person aggrieved with the order of the Ayog, may prefer an appeal to the Government within sixty days from the date of communication of the order of the Ayog.

17. **Repeal and Saving :** Madhya Pradesh Go-Seva Ayog Rules 1995 vide Notification No. F 23-18-XXXV-93 dated 29-9-1995 in relation to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or taken under these rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B.K.S. RAY, Principal Secretary.

Form - I
(See Rule - 5)

OFFICE OF THE ....(here enter name of the Institution)

To,

The Registrar,
Chhattisgarh Go-Seva Ayog
Raipur.

Subject -Application for Registration of Institution under the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam 2004.

Whereas the aforesaid Adhiniyam provides for the Registration of Animal Welfare Institution.

Now therefore, this Institution intends to get registered under Section 11 of the said Adhiniyam. Hence this application, accompanied by such particulars as required under Rule 5 of Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rule, 2004, in triplicate is submitted.

A crossed demand draft No. ____________ dated ____________ for ____________

Rs. ____________ of ____________ Bank ____________ is also enclosed as registration fee.

Full Address :

____

____

Head of the Institution or its authorized agent.
Seal of the Institution

INDEX

S. No. Description of document

1
2
3

Date of application

Signature
(Head of Institution)

RECEIPT

Received Application for registration along with bank draft No. ____________ dated ____________ for Rs. Five Hundred only along with copies of relevant documents numbering ____________

Raipur,
dated :

Signature of receiving clerk of
Chhattisgarh Go-Seva Ayog,
Raipur

Rule - 5 - 3 (a)

(For Registration of Institution)

1. Name of Institution - ______________________________

2. Office of Institution - ______________________________

3. District ______________________________

   Tensile ______________________________

4. Object of the institution as follow - ______________________________

____

____

____

5. As per Constitution/Byelaw of institution the work allotted to Managerial committee. There name, address & Signature as follow -

S. No.	Name	Designation	Address	Signature
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
3.				
9.				
10.				

6 Find enclosed herewith a signed copy of constitution/ Byelaws of Institution & particulars in Performa One & Two.

Name, Seal & Signature
Head of the Institution

Form - II

(See Rule - 5)

S. No. Particulars of Statement

1. Name of the Institution ______________ date of Estt. ______________

2. Location ______________ Place ______________ Tehsil ______________

   Distt. ______________

3. The aim and object accompanied by copies of deed of instrument or such abstract which may so the origin and nature and object of the Institution.

4. Certificate of registration under any enactment provided it is registered before the commencement of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog. (Act) ; 2004.

5. Bye-laws if any & its euthenics :

6. Name of the trustee members with their full addresses and along with officials holding the post mode of succession in relation to Institution.

7. Employees of the Institution, if any :

8. Details of the Livestock Number ______________ Breed ______________

   (i) Cow
   (ii) Heifer
   (iii) Bull
   (iv) Bullock
   (v) Calf - Male
       Female
   (vi) Other livestock (mention type)

9. Milk production of last 3 years | Total Average/ per Head | Selling cost if any

10. Full particulars of land held by the Institution : (with attested photocopy of Land Records) | Agriculture Grass Pasture Bar | Other category

    (a) Irrigated
    (b) Non - Irrigated

11. Land use Classification : | Under Road | Under building | Other purpose

12. Source of Income :

13. Activities (narrate in short) :

14. Audited account of last 3 years :

15. Particulars regarding grant received :

S. No.	Institution from where grant received	2000-01	2001-02	2002-03
1.	M.P. Go - Seva Ayog			
2.	Animal Welfare Board of India Chennai.			
3.	Fund from the member of parliament			
4.	Fund from the member of Legislative of Assembly.			
5.	From other institution			

16. Particulars regarding account of institution

S. No.	Particular	Position
1.	Approximate yearly income of institution	
2.	Income from Manure, cow urine, Medicines, insecticides & Hide.	
3	Last Financial Audit report enclosed or not.	
4.	Proceeding of last executive meeting of institution enclosed or not.	
5.	According to account book of institution the cash is operated through bank of particular person ?	
6.	Account No. and Name of the Bank of the institution.	
7.	Whether the account book of the institution kept regular & up to date ?	
8.	If the working committee & institution is elected than the year of Election and Name and Address, Telephone No. of the present Chairman/Secretary/ Treasurer enclose.	
9.	Special activities conducted by the institution given the particulars.	

17. Other information's :

Signature of Head of the Insitution.

Form - III
(See Rule - 6)

REGISTER OF AYOG

Name of Institution ________________

Address ________________ Object ________________

Date of Establishment ________________ Registration No. if any (When registrar under any enactment)

Date of Registration	Registration No. allotted	Name & Address of the Trustees or. Executive Body	The manner of Succession of the Trustee or Executive Body
1	2	3	4

Details of property
IMMOVABLE

Agriculture land	Value	Non-Agriculture land	Value	Building		Value
				Pacca Con. Area	Kacha Con.Area	
5	6	7	8	9		10

Details of property
MOVABLE

Live stock	Value	Securities	Value	Investment	Cash Value	Equipment	Implement	Vechile
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Value of Col. 17 to 19	Total value of property	Total income since the date of Estt. of Institution/ since last 3 preceding years (year wise)	Source of Income	Expenditure of last 3years Expenditure (year wise)	Any other particulars.
20	21	22	23	24	25

Counter signature of Chairperson
Chhattisgarh Go-Seva Ayog,
Raipur

Signature of Registrar
Chhattisgarh Go-Seva Ayog,
Raipur

Performa-A
Rule-7 (G)

Verification and confirmation by Joint Director/ Deputy Director, Veterinary Service of the Distric............................

A. Particulars regarding institution

S. No.	Particulars	Information
1.	Name of the Institution	
2.	Postal address of the institution	
3.	District	
4.	Establishment Year of the Institution	
5.	Registration No. Date in M.P. Go-Seva Ayog, if?	
6.	Name and Registration No./ Date in other institution.	
7.	Name, address and Telephone No. of contract person of the Institution	

B. Particulars regarding Land/Building

S. No.	Particulars	Information
1.	Total Area of institution	
2.	Area of Agricultural Land (irrigated and Non-irrigated)	
3.	Area of Non-Agricultural Land	
4.	Area of Cattle grazing Land	
5.	Building (Constructed Area)	
6.	Available Source of water (River, Pond, Tube well, Dug well etc.)	
7.	Available gober Gas Plant	
8.	Available solar panel	
9.	Silo pit/Nadep Tank/ Vermi compost Tank/Other.	
10.	Available vechile (Bullock cart, Tractor, Jeep, Motor cycle. Cycle etc.)	

C. Particulars of Live stock

S. No.	Patrticular	Information
1.	Milch cow	
2.	Pregnant Cow	
3.	Infertile/unproductive/ Aged/ disabled Cow	
4.	Cow Bulls & Buffalo Bulls	
5.	Cow bullock/Buffalo Bullock	
6.	Heifer/ male calf of female calf	
7.	Up to 3 month male & female suckling calf	
8.	No. of animal in particular and date of received from the Judicially/ Police Custody	
9.	Whether the case is in Judiciary for consideration (8)	

Sign & Seal **Incharge of the Institution**	**Sign & Seal** **V.A.S.** **Veterinary Hospital** **District**	**Sign & Seal** **J.D.V.S./D.D.V.S.** **District**

Performa-6

(See Ruie - 11(11-VIII-IX)

(performa for the subsidy to the Aged, lame, weak & seized animal)

Name of the institution ______________________________

Tensile ______________________ Distt. ______________________

rearing subsidy amount for the financial year -

S. No.	Name of animal group	Comparative unit	No.	Total Adult animal unit
1.	Cow	1.0		
2.	Heifer	0.9		
3.	He/ She Calf			
	(a) Up to 1 Year of Age	0.4		
	(b) Up to 2 Year of Age	0.7		
4.	Bull/ Bullock	1.2		
5.	Calf in Milk	0.2		
6.	Other He/She Buffalo/ Jersey Cow	1.2		
	Total (Total Adult animal Unit)			

Sign & Seal
V.A.S.
Veterinary Hospital
District

Sign & Seal
Member
C.G. Go-Seva Ayog
Raipur

Sign & Seal
Manager
Institute ______________

CHHATTISGARH GO-SEVA AYOG

Form - IV
[See Rule 9 (2)]

Registration certificate

Certificate that —————————————————————— Institution has been registered at serial number —————————— of the Register of Institution of the Ayog, in accordance with the provision of Section 11 of Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 and Rules framed there under grants the Registration subject to the following conditions :-

1. The Institution shall abide to its constitution.
2. The Institution shall discharge its function for the cause of object for which it is constituted.
3. No property or assets except perishable goods shall be disposed of in any manner without the prior permission of the Ayog.
4. All proceeds received in the name of Institution shall be accounted for in proper books and audited by the Chartered Accountants.
5. Institution shall submit its audited account and detailed report during the preceding year to Ayog by 31st July of each year.
6. Institution shall be bound to follow the terms listed under the rule No. 11 (10) of Ayog.
A certified copy of document is returned herewith for proper custody and record of the Institution.

No. ——————

Dated ——————

Secretary **Chhattisgarh** **Go-Seva Ayog, Raipur.**	**Registrar** **Chhattisgarh** **Go-Seva Ayog, Raipur.**	**Chairperson** **Chhattisgarh** **Go-Seva Ayog, Raipur.**

Form - V
(See Rule - 14)

NOTICE FOR SETTLEMENT OF COMPLAINT

Whereas Shri —————————————————— S/o Shri ——————

R/o —————————————— instituted a written complaint against you/your Institution. You are hereby summoned to appear before the Ayog in person or through an authorized agent duly authorized by you and able to answer all material questions relating to the complaint with all necessary documents relied upon to defend the complaint so made, on the —————————— day of ——————— 2005 ——————— at ——————— hour ——————— in the office of the undersigned ; to answer.

please take notice that in default of your appearance on the day specified above, the complaint shall be heard and determined ex-parte.

Given under the hand and seal of Chhattisgarh Go-Seva Ayog, this ——————— day of ——————— 2005 ———————.

Registrar
Chhattisgarh
Go-Seva Ayog, Raipur.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.